Bill No. 21 of 2015

THE LEADER OF OPPOSITION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

Further to amend the Leader of Opposition In the Legislative Assembly of the National Capital Territory Of Delhi (Salaries And Allowances) Act, 2001.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement. –** (1) This Act may be called the Leader of Opposition In the Legislative Assembly of the National Capital Territory Of Delhi (Salaries And Allowances) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 3.** – In the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001, (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, -

   (a) for sub –section (1) the following shall be substituted, namely:-
   "The Leader of Opposition shall be entitled to receive a salary, all allowances and entitlements at the same rate as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994".

   (b) sub-section 2 shall be deleted .

   (c) sub-section 3 shall be deleted .

3. **Deletion of section 4**.- Section 4 of the principal Act shall be deleted.
4. **Deletion of section 5**.- Section 5 of the principal Act shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It has also been pointed out that salaries/perks/facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.

Considering the exigency of demand, the Speaker of Delhi Legislative Assembly appointed a Committee of Experts on 20.08.2015 to undertake a comprehensive study of the structure of salaries and allowances of Members of Legislative Assembly of Delhi and to recommended revision of salary allowances and other facilities for the Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. The Expert Committee after deliberating on the issues has made its recommendations for increasing the Salaries and allowances etc. of Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

For the purpose, the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of Delhi of National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Bill, 2015, has been initiated to amend the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 2001. The Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of Delhi, so as to facilitate them to work effectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MANISH SISODIA)
Deputy Chief/Minister/Minister(Law)
December 2, 2015

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2015, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2015 does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा विपक्ष के नेता का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा विपक्ष के नेता का (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 में संशोधन के लिये विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .–** (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा विपक्ष के नेता का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथानिश्चित तिथि को प्रभावी होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन :–** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा विपक्ष के नेता का (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में –

(क) उपधारा (1) के लिये निम्मलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :–

'' विपक्ष के नेता को वही वेतन, समस्त भत्ते एवं पात्रताएं उन्हीं दरों पर स्वीकार्य होंगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 के अधीन मंत्रियों के लिये स्वीकार्य हैं।

(ख) उपधारा 2 को हटाया जायेगा।

(ग) उपधारा 3 को हटाया जायेगा।

3. **धारा 4 को हटाना .–** मूल अधिनियम की धारा 4 को हटाया जायेगा।

4. **धारा 5 को हटाना .–** मूल अधिनियम की धारा 5 को हटाया जायेगा।

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए विधायकों द्वारा उनके वेतन एवं अनुलाभ/सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। यह भी संकेत किया गया है कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाओं में अपर्याप्तता है जिसे बढ़ाकर एक समान सीमा तक किया जाना चाहिए।

मांग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की संरचना का व्यापक अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों के लिये वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के संशोधन की सिफारिश के लिये दिनांक 20.8.2015 को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने विषयों पर गहन विचार–विमर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों आदि में वृद्धि की संस्तुति की है।

इस प्रयोजन के लिये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रारंभ किया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(मनीष सिसोदिया)
उप–मुख्यमंत्री/मंत्री (न्याय)

02 दिसम्बर, 2015

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 में निहित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय की आवश्यकता होगी।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 किसी अधीनस्थ अधिकारी को विधायी शक्ति प्रदत्त नहीं करता है।